



माननीय राजस्व मण्डल ग्वालियर (म०प्र०)

(रीवा कैम्प)



12.6 APR 2004

रीवा संभाग, रीवा

सुशील कुमार पिता मिठाईलाल अग्रवाल निवासी ग्राम जैतवारा, तह०
मझिगवा, जिला सतना (म०प्र०)

अपीलार्थी

विरुद्ध

- 1- मध्यप्रदेश शासन
- 2- श्रीमती कपुरीबाई पत्नी रामावतार सिंह, निवासी सेमरिया चौक सतना, तह०
रघुराजनगर, जिला सतना (म०प्र०)

गैरअपीलार्थीगण

अपील अन्तर्गत 47(5) भारतीय मुद्राक
अधिनियम 1899 विरुद्ध आयुक्त रीवा संभाग
रीवा के प्रकरण क्र० 171/अपील/2003-04
मे आदेश दिनांक 20/04/04 के विरुद्ध
द्वितीय अपील

A. 610-III/2004

श्री- राजेन्द्र पाठेय कर्मचारी
द्वारा दिनांक 20/10/2004 को
प्रस्तुत/

अधीन 20/10/04

राजस्व कार्यालय, रीवा, म० प्र०

1- अपीलार्थी का नाम व पता

क्रमांक RL-245

रजिस्ट्रार केन्द्र द्वारा आज
दिनांक 1-5-04 को प्राप्त

यकाश ऑफिस के

राजस्व मण्डल के लिखित का निष्पादन करने वाले व्यक्ति
का पूरा नाम व्यवसाय तथा पता

3- लिखित के अधीन दावा करने वाले

व्यक्ति का पूरा नाम तथा व्यवसाय व पता

4- लिखित की तारीख तथा उसका प्रकार

5- रजिस्ट्रीकरण क्रमांक रजिस्ट्रीकरण की
तारीख तथा उस कार्यालय का नाम जहाँ
लिखित का रजिस्ट्रीकरण किया गया था

सुशील कुमार पिता मिठाईलाल अग्रवाल
निवासी ग्राम जैतवारा, तह० मझिगवा,
जिला सतना (म०प्र०)

श्रीमती कपुरीबाई पत्नी रामावतार सिंह,
निवासी सेमरिया चौक सतना, तह०
रघुराजनगर, जिला सतना (म०प्र०)

अपीलार्थी

अपंजीकृत विक्रय पत्र

उपपंजीयक कार्यालय सतना दिनांक
20/10/03 को प्रस्तुत पंजीयन नहीं
किया गया।

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

47

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक. A6.C0-III/04..... जिला संतना

सुशील कुमार अग्रवाल (शासन, कपुरीबाई)

54

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
<p>12.8.15</p> <p>(59)</p>	<p>- आवेदन की अर्ज से श्री राजेन्द्र काठेड़ा एडवोकेट → मान. सदस्य महो. का अर्ज रीवा आग- वन नहीं हो सका। → वास्ते बूटीवत कापसी पर तर्क। C.F-30.6.15</p> <p>आदेश सं. 11 संद</p>	<p>MP 30.6.15 JKL</p>
<p>30.6.15</p> <p>(21)</p>	<p>1. आदेशक अभिभाषक श्री राजेन्द्र काठेड़ा एडवोकेट। 2. पक्षनीय सदस्य महो. का रीवा जमानत नहीं हो सका। 3. वास्ते कापसी पर तर्क। पेशी तारीख. 10.8.15</p> <p>आदेश सं. 11 संद</p> <p>राजस्व मण्डल म०प्र० ग्वालियर सर्किट कोर्ट रीवा</p>	
<p>10.8.15</p> <p>(44)</p>	<p>- आवेदन की अर्ज से बूटीवत आग- वन नहीं। - वास्ते कापसी पर विचारार्थ। C.F-19-8.15</p> <p>आदेश सं. 11 संद</p>	<p>D.D.</p>
<p>19/8/15</p>	<p>आवेदन व आवेदन अभिभाषक की पेशी से अनुपस्थित है। आवेदन एवं आवेदन अभिभाषक में समझ-झूझ या आवाज लगाई गई है। उपस्थित नहीं। अतः आवेदन व इसके अभिभाषक उपस्थित नहीं होने के कारण पुनः अर्ज में उल्लेख किया जाता है।</p> <p>आदेश सं. 11 संद</p>	